FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं SDO मुकाम बायतु

भैरूलाल बनाम श्रीनारायण वगैरा

किस्म मुकदमा रा० का० 88,188 RTACT नं. 90/18 सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/06/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री घमण्डाराम सारण ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,188 RTACT राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/07/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर ... बायतु	
23/07/18	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील मय तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 17/09/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
17/09/18	अधिवक्तागण हड़ताल में है। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील मय तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 24/10/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:42:50 IST
Reason: SelfAttested

24/10/18	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा वकालतनामा व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया जिसकी प्रति वादी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 31/10/18 को पेश हो।
31/10/18	पक्षकारान फरीकेन उपस्थित। वकील श्री नरपत पुनड़ द्वारा वकालतनामा पार्वती पुत्री थानाराम पत्नी बाबूलाल निवासी खोखर दक्षिण हाल निवासी डालायल मय प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीविल प्रक्रिया संहिता बनाये बतौर पक्षकार प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति वादी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः प्रार्थना-पत्र जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 06/11/18 को पेश हो।
06/11/18	पक्षकारान फरीकेन उपस्थित। वादी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत O-1 R-10 cpc का जवाब पेश नहीं किया गया, फाईनल पेश करना चाहते है। अवसर दीया जाकर पत्रावली दिनांक 13/11/18 को पेश हो।
13/11/18	पक्षकारान फरीकेन उपस्थित। वादी वकील द्वारा O-1, R-10 cpc के प्रार्थना-पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया, फाईनल पेश करना चाहते है। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये अन्तिम ... दिया जाकर पत्रावली दिनांक 19/11/18 ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:42:50 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/11/18	पकुलाम फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 26/11/18 को पेश हो।	
26/11/18	पकुलाम फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/12/18 को पेश हो।	
27/12/18	पकुलाम फरीकैन उपस्थित। वादी वकील द्वारा पूर्व आदेशिका की पालना नहीं की गई, अर्जना करना चाहते है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी इलेक्शन कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 07/01/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
07/01/19	पकुलाम फरीकैन उपस्थित। वादी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र आदेश-1 नियम-10 CPC स्वीकार किया गया। लिहाजा वकील श्री नरपत पुनड़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र आदेश-1 नियम-10 CPC स्वीकार किया जाकर प्रार्थिनी पार्वती पुत्री थानाराम पत्नी बाबूलाल को बतौर पक्षकार प्रतिवादी संख्या-4 उक्त वाद में बनाया जाता है। वादी वकील संशोधित शीर्षक व प्रतिवादी संख्या-4 के वकील जवाब पेश करें। [illegible] दिनांक 16/01/19 को पेश हो।	Oder 1 R-10 स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:42:50 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
16/01/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। वादी वकील द्वारा संशोधित शीर्षक पेश कीया व प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कीया गया। काउन्टर क्लेम की प्रति वादी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली कीया गया। अतः पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 06/02/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
06/02/19	...कुलाय रक्षकारान ... पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 27/03/19 को पश हों। (हस्ताक्षर)	
27/03/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 16/04/19 को पश हों। (हस्ताक्षर)	
16/04/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनाक 08/05/19 को पश हों। (हस्ताक्षर)	
08/05/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। वादी वकील द्वारा साक्ष्य पेश नहीं कीये गये, मोहलत पेश करना चाहते है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/05/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) //	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:42:50 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/05/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। वादी वकील द्वारा साक्ष्य पेश नहीं कीये गये आईन्दा पेश करना चाहते है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव डयूटी में व्यस्त होने से मिसल इत्तला होकर आगामी दिनांक 29/05/19 को पेश हो।	
29/05/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इत्तला होकर दिनाक 11/06/19 को पेश हों।	
11/06/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। वादी वकील द्वारा साक्ष्य पेश नहीं कीये गये आईन्दा पेश करना चाहते हैं अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 23/07/19 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	
23/07/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 वादी स्वयं श्री भंवरलाल पुत्र श्री थानाराम जाति-जाट निवासी-खोखर दक्षिण पटवार मण्डल खोखर तहसील-गिड़ा व PW-2-चैनाराम पुत्र श्री भाइराम जाति-जाट निवासी-खोखर दक्षिण तहसील-गिड़ा जिला-बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश कीये गये जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। प्रतिवादी वकील द्वारा जिरह की गई, वादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है वादी साक्ष्य बन्द कीये जाकर पत्रावली [illegible] प्रतिवादी साक्ष्य दिनांक 21/08/19 को पेश हो।	23/7/19 चैनाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:42:50 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/08/19	वकीलान फरीकैन उपस्थित / प्रतिवादी साक्ष्य अनुपस्थित / श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 28/08/19 को पेश हो।	
28/08/19	वकीलान फरीकैन उपस्थित / श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 09/09/19 को पेश हो।	
09/09/19	वकीलान फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा साक्ष्य के रूप में DW-1- थानाराम पुत्र भाइराम जाति-जाट निवासी- खोखर डिग्गी पचार हलका खोखसर पश्चिम तह० गिड़ा जिला-बाड़मेर DW-2 देवीलाल पुत्र श्री थानाराम जाति-जाट निवासी- खोखर डिग्गी पचार हलका- खोखसर पश्चिम तह० गिड़ा जिला-बाड़मेर व स्वतंत्र गवाह DW-3 - भैराराम पुत्र श्री मूलाराम जाति- जाट निवासी- खोखसर पश्चिम पचार हलका- खोखसर तहसील-गिड़ा जिला-बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये, जिनके अंगूठा निशान व हस्ताक्षर करवाये गये। शपथ-पत्रों की प्रति वादी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते जिरह पत्रावली दिनांक 07/10/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	नि.अ. थानाराम देवीलाल (देवीलाल) P.M 3.15 नि.अ. भैराराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:42:50 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.19	पत्रावली आज पेश हुई। वादी वकील [illegible] प्रतिवादी वकील उपस्थित। वादी वकील जिरह नहीं करना चाहते है। अतः वादी जिरह बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22.10.2019 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	जिरह नही करना चाहता हूँ [signature] वादी [illegible] 7/10/2019
22.10.19	पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी वकील उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यो में व्यस्त है अतः पत्रावली दिनांक 09.12.2019 को पेश हो। [initials]	
9/12/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 11.03.20 को पेश हों। [initials]	
11.03.20	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 03.6.20 को पेश हों। [initials]	
03.6.20	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 4.8.20 को पेश हों। [initials]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:42:50 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
4.8.20	[illegible] पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त है। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 21.10.20 को पेश हो।
21.10.20	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। दोनो पक्षों के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों पर मनन किया गया। बाद मनन वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 2 व 4 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नक्शा से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। शिव दयाल सहायक कलक्टर (SDO) बाप्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:42:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 90/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल पुत्र थानाराम जाति जाट निवासी खोखर दक्षिण, तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. थानाराम पुत्र आदूराम 2. देवीलाल पुत्र थानाराम जाति जाट निवासी खोखर दक्षिण तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार गिड़ा 4. पार्वती पुत्री थानाराम जाति जाट निवासी खोखर दक्षिण तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री घमण्डाराम सारण वकील वादी
2. श्री जगदीश गोदारा वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. श्री नरपत पूनड़ वकील प्रतिवादी संख्या 4

–: निर्णय :– **दिनांक : 21.10.2020**

संक्षेप में वाद कथन इस प्रकार हैं कि वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 4 की संयुक्त व पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा खोखर दक्षिण पटवार मण्डल खोखर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 1812/1707 रकबा 12.00 बीघा में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 4 एक ही पूर्वज के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि सेटलमेंट से पूर्व वादी के परदादा धुड़ा के कब्जे काश्ती की थी तथा वक्त सेटलमेंट के समय वादी के परदादा धुड़ा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 4 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादी अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकारी प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:42:50 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा द्वारा वकालातनामा व जवाबदावा मय काउन्ट क्लेश पेश किया गया। पार्वती पुत्री थानाराम पत्नी बाबुलाल, वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 की बहन व प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री होने के नाते जरिये वकील श्री नरपत पूनड़ द्वारा वकालातनामा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी संहिता वास्ते बनाने पक्षकार पेश किया गया। जिसे वादी वकील द्वारा स्वीकार किया गया। अतः पार्वती पुत्री थानाराम पत्नी बाबुलाल को उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 4 बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 4 के वकील द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। वादी वकील द्वारा साक्ष्य के रूप में PW-1 वादी स्वयं भंवरलाल, PW-2 चैनाराम के शपथ पत्र पेश किये गये जिस पर प्रतिवादी वकील द्वारा जिरह की गई। प्रतिवादी वकील द्वारा साक्ष्य के रूप में DW-1 थानाराम, DW-2 देवीलाल, DW-3 भैराराम के शपथ पत्र पेश किये गये जिस पर वादी वकील जिरह नहीं करना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व कोई इस्तदुआ नहीं चाही गई है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकील को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के परदादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादी के परदादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादी धुड़ा के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त आराजी में वादी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 4 का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा खोखर दक्षिण पटवार मण्डल खोखर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 1812/1707 रकबा 12.00 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 व 4 को सहखातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 4 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

निर्णय आज दिनांक 21.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.10.2020

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:42:50 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादी
भंवरलाल पुत्र थानाराम

बनाम

प्रतिवादीगण
थानाराम पुत्र आदूराम वगैरा

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक :—21.10.2020

राजस्व वाद संख्या—90 / 2018.

वादी की ओर से वकील श्री घमण्डाराम सारण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा एवं प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से वकील श्री नरपत पूनड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.10.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :—

वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 4 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर मौजा खोखर दक्षिण पटवार मण्डल खोखर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 1812 / 1707 रकबा 12.00 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 व 4 को सहखातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, वादी संख्या 1 का 1 / 4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 4 प्रत्येक का 1 / 4—1 / 4 हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार गिड़ा निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:42:50 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण

बनाम प्रतिवादीगण

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भंवरलाल पुत्र थानाराम जाति जाट निवासी खोखर दक्षिण, तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. थानाराम पुत्र आदूराम 2. देवीलाल पुत्र थानाराम जाति जाट निवासी खोखर दक्षिण तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार गिड़ा 4. पार्वती पुत्री थानाराम जाति जाट निवासी खोखर दक्षिण तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

विवेक व्यास
21.10.2020

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 14:42:50 IST
Reason: SelfAttested